

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
सोमवार, 27 अगस्त, 2007/भाद्रपद 05,1929 (शक)

संख्या- 218

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त पुलिस, दक्षिण जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री सुभाष चौपडा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 21.8.2007 को अप. 2.35 बजे, पुलिस पोस्ट गोविंदपुरी, पुलिस स्टेशन कालका जी नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 5.30 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)  
Monday, 27<sup>th</sup> August 2007/ 05 Bhadra 1929 (Saka)

No. 218

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, South District, New Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Subhash Chopra, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained U/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from P.P. Govindpuri, P.S. Kalkaji at 2.35 P.M. on 21.08.2007.

He was released at 5.30 P.M. from the same place and same date."

Siddharath Rao  
Secretary